

Form No. III**Qn/vgdke**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़विक्रम बंजारा

बनाम

सरकार**कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

031

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.02.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में न्यायालय में मूल प्रकरण संख्या 005/2024 (गौ-वंश) लम्बित होकर विचाराधीन है। दोनो प्रकरणों में एक ही वाहन के निस्तारण का प्रश्न है, अतः इस प्रकरण की सुनवाई मूल प्रकरण के साथ की जाकर आदेश पारित किया जाना उचित है। अतः दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया।</p> <p>मूल प्रकरण संख्या 005/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम विक्रम बंजारा में न्यायालय आदेश दिनांक 25.02.2025 से प्रार्थी विक्रम बंजारा पिता चन्दर बंजारा जाति बंजारा निवासी नवादा तहसील नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) द्वारा जुर्माना राशि रूपये 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 13 GB 1823 को रूपये 7,00,000/- अक्षरे सात लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तों पर सिपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये गये है, अतः प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर पत्रावली पुनः पेश हो, अन्यथा मूल प्रकरण संख्या 005/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम विक्रम बंजारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 निर्णय दिनांक 25.02.2025 के साथ हम किता रहे। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णित इन्द्राज किया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

25.02.2025

Web Copy - Not Official